भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 518**
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

## प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्यमियों की भागीदारी

**518. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार के पास उन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की प्रतिशतता के संबंध में कोई आंकड़े हैं जिन्होंने प्रासंगिक योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक ऋण संबद्ध राजसहायता का लाभ उठाया है;

**(ख)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

**(ग)** उक्त योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल कितने उद्यमियों ने भाग लिया है और उनके कौशल और ज्ञान में सुधार का मूल्यांकन करने के लिए क्या मानदंड प्रयुक्त किए गए हैं; और

**(घ)** उक्त योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों द्वारा अपनाई गई विशिष्ट आधुनिक प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है और उत्पादन प्रक्रियाओं पर उनका प्रभाव, बाजार संपर्क और ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए की गई पहलें तथा बढ़ी हुई बिक्री और बाजार पहुंच के संदर्भ में हुए परिणामों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) और (ख):** केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, 31 जनवरी 2025 तक ऋण लिंक्ड सब्सिडी के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को लगभग 49.79% ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

| क्र. सं. | विवरण | ऑनलाइन आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बैंकों को भेजा गया | 3,00,787 |
| 2. | बैंकों द्वारा स्वीकृत | 1,22,512 |
| 3. | बैंकों द्वारा अस्वीकृत | 1,23,531 |
| 4. | बैंकों के पास लंबित | 54,744 |
| 5. | बैंकों द्वारा संसाधित आवेदन (3,00,787 - 54,744) | 2,46,043 |
| 6. | आवेदकों को स्वीकृत ऋण का प्रतिशत (1,22,512 / 2,46,043 x100) | 49.79% |

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ( एमओएफपीआई ) ने इस योजना की शुरूआत से ही समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियों, मेलों, क्रेता -विक्रेता बैठकों आदि जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जागरूकता अभियानों के माध्यम से इसके उपयोग को बढ़ाने और विभिन्न हितधारकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल / प्रमुख कदम उठाए हैं।

**(ग):** पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपडेट किए गए पीएमएफएमई प्रशिक्षण पोर्टल के अनुसार 31 जनवरी 2025 तक कुल 92,677 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है । योजना के क्षमता निर्माण घटक में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा ऋण लिंक्ड सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अनुशंसित सभी आवेदकों अर्थात व्यक्तियों और समूहों (एसएचजी/एफपीओ/सहकारी समितियों) के लिए 24 घंटे/3 दिन, खाद्य प्रसंस्करण ईडीपी प्रशिक्षण और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे प्रारंभिक पूंजी के एसएचजी लाभार्थियों को 8 घंटे/1 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

**(घ):** पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और साथ ही आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक में योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण व्यक्तियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । प्रशिक्षण सत्र के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है।

पीएमएफएमई योजना के विपणन और ब्रांडिंग घटक के अंतर्गत, एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान दिया जाता है। यह घटक उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और खाद्य सुरक्षा पालन जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है, जिससे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में लगे सूक्ष्म उद्यमों को लाभ मिलता है, लेकिन उनके पास बाजार तक पहुंच नहीं है और वे बड़े बाजार खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, सामान्य ब्रांड के अंतर्गत, सूक्ष्म उद्यमों को प्रसंस्करण, पैकेजिंग, आपूर्ति श्रृंखला और लाजिस्टिक और विपणन में सहायता के माध्यम से ब्रांडिंग और बाजार संबंधों से भी लाभ होता है, और यह सुनिश्चित होता है कि उत्पाद खुदरा बिक्री चैनलों पर उपलब्ध है।

*****